न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–60/2016–17

अनिल सिंह बनाम अमर पासवान

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

12/5/18

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 66/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा पारित दिनांक 10.09.2015 के आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा
1	2	3	4	5	6
पटना सदर	मैनपुरा	2	757	1323	1.62ए0
			774	1093	0.39ए0
			774	1094	0.23ए0

इस न्यायालय में वाद को पंजीकृत किये जाने के पश्चात विपक्षी को नोटिस निर्गत की गयी। विपक्षी की तरफ से दिनांक 30.12.2017 को वकालतनामा दायर किया गया। विपक्षी को अनेक अवसर दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा प्रतिउत्तर दायर नहीं किया गया। दिनांक 07.02.2018 से विपक्षी के द्वारा वाद में पैरवी करना भी छोड़ दिया गया। अंततः आज दिनांक 12.05.2018 को एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित किया जा रहा है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि

(1) मौजा मैनपुरा, खाता नं0 757, खेसरा नं0 1323 रकबा 10कठ्ठा की खरीद उनकी माता श्रीमती सुमित्रा देवी के द्वारा जय मंगल सिंह से दिनांक 06.04.1981 के दस्तावेज से खरीदी गयी थी। खरीदगी के पश्चात आवेदक की माता श्रीमती सुमित्रा देवी प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आयी। उनके नाम से जमाबंदी सं0 2663 कायम होकर लगान रसीद निर्गत होने लगी। श्रीमती सुमित्रा देवी के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के अंश भाग पर 10(दस) दूकानों का निर्माण कराकर किराया पर दिया गया है। वर्ष 2015 में सुमित्रा देवी की मृत्यु के उपरान्त प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदक शांतिपूर्ण दखल में है।

(2) उसी खाता खेसरा के अन्य क्रेता भी अपने–अपने खरीदे गये भूखण्ड पर शांतिपूर्ण दखल में है। कुछ के द्वारा खरीदी गयी भूमि की चहारदीवारी करायी गयी है, कुछ मकान बना कर रह रहे हैं।

(3) सुमित्रा देवी के बिक्रेता जयमंगल सिंह ने उक्त 10 कठ्ठा

भूखण्ड की खरीद दीप नारायण सिन्हा, पिता राम गोविन्द सिंह से दिनांक 13.12.1974 के निबंधित केवाला से की थी। जयमंगल सिंह के नाम से भी जमाबंदी कायम थी तथा लगान रसीद निर्गत होती थी।

(4) उक्त राम गोविन्द सिंह एवं अन्य के द्वारा खाता सं0 757, खेसरा सं0 1323 रकवा 1.62 एकड़ की खरीद जंगली भगत एवं अन्य से दिनांक 18.01.1964 के निबंधित केवाला से की गयी थी।

(5) उक्त जगली भगत एवं अन्य के द्वारा प्रश्नगत खेसरा सं0 1323 रकवा 1.62 एकड़ की खरीद दिनांक 03.03.1945 के निबंधित केवाला से बदरी सिंह वल्द जमादार सिंह से की गयी थी।

(6) विवादित भूखण्ड 10 कट्ठा केवाला दर केवाला के आधार पर आवेदक की माता श्रीमती सुमित्रा देवी को प्राप्त हुई थी। श्रीमती सुमित्रा देवी के स्वामित्व एवं दखल पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। सुमित्रा देवी के नाम से जमाबंदी कायम थी। 2015 में सुमित्रा देवी की मृत्यु के उपरान्त विवादित भूखण्ड आवेदक के शांतिपूर्ण दखल में है।

(7) विपक्षी अमर पासवान के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज के आधार पर विवादित भूखण्ड का दाखिल खारिज करने हेतु अंचलाधिकारी, पटना सदर को आवेदन दिया गया। प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल–कब्जा नहीं रहने का प्रतिवेदन राजस्व कर्मचारी के द्वारा दिया गया। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{699}{1}$ वर्ष 2014–15 के अंतर्गत आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

(8) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{699}{1}$ वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध विपक्षी अमर पासवान के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 66/2014–15 दायर किया गया।

(9) दाखिल खारिज के प्रतिवेदन में दखल–कब्जा के बिन्दु पर राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन स्पष्ट नहीं रहने के कारण भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के पत्रांक 682 दिनांक 06.05.2015 से राजस्व कर्मचारी से विवादित भूखण्ड पर दखल–कब्जा के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गयी।

(10) अंचलाधिकारी, पटना सदर के पत्रांक 4344 दिनांक 05.08.2015 के द्वारा राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन संलग्न कर भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर को भेजा गया। राजस्व कर्मचारी के द्वारा विवादित भूखण्ड पर विभिन्न लोगों की जमाबंदी एवं उनके दखल–कब्जा का प्रतिवेदन दिया गया। राजस्व कर्मचारी के द्वारा इस वाद के विपक्षी अमर पासवान के दखल–कब्जा की पुष्टि नहीं की गयी।

(11) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा बिना किसी जमाबंदीदार को नोटिस निर्गत किए, विपक्षी अमर पासवान का विवादित भूखण्ड का दखल नहीं रहने की स्थिति में भी विवादित भूखण्ड का

20(बीस) रू0 प्रति कठ्ठा लगान निर्धारित करते हुए अंचलाधिकारी, पटना सदर को लगान रसीद निर्गत करने एवं पंजी–2 में प्रविष्टी करने का आदेश दे दिया गया।

(12) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा अपने दिनांक 10.09.2015 के आदेश में टाईटिल बंटवारा सूट सं0 251/2013 में पारित आदेश को आधार बनाया गया है, परन्तु उक्त टाईटिल बंटवारा सूट में प्रश्नगत खेसरा 1323 सम्मिलित ही नहीं है।

(13) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 66/2014–15 में दिनांक 10.09.2015 को पारित आदेश रद्द करने योग्य है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी।

(1) दिनांक 13.12.1974 का केवाला जो दीप नारायण सिन्हा, पिता राम गोविन्द सिंह एवं अन्य के द्वारा खेसरा सं0 1323 रकवा 10 कठ्ठा के लिए जय मंगल सिंह को लिखा गया है।

(2) जयमंगल सिंह की जमाबंदी सं0 2663 पर खेसरा सं0 1323 रकवा 10 कठ्ठा की वर्ष 1978–79 की लगान रसीद

(3) दिनांक 06.04.1981 का केवाला जो प्रश्नगत खेसरा सं0 1323 रकवा 10 कठ्ठा के लिए जयमंगल सिंह के द्वारा श्रीमती सुमित्रा देवी (आवेदक की माता) को लिखा गया है।

(4) श्रीमती सुमित्रा देवी की जमाबंदी सं0 2663 पर खेसरा सं0 1323 रकवा 10 कठ्ठा की वर्ष 2007–08 एवं 2016–17 की लगान रसीद

(5) दिनांक 18.01.1964 का केवाला जो प्रश्नगत खेसरा सं0 1323 रकवा 1.62 एकड़ के लिए जंगली भगत एवं अन्य के द्वारा राम गोविन्द सिंह एवं अन्य को लिखा गया।

(6) दिनांक 03.03.1945 का केवाला जो प्रश्नगत खेसरा सं0 1323 रकवा 1.62 एकड़ के लिए बदरी सिंह के द्वारा जंगली भगत एवं अन्य को लिख दिया गया।

(7) टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 251/2013 की याचिका की सत्यापित प्रति

(8) टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 251/2013 में दिनांक 28.11.2013 का आदेश

(9) टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 251/2013 में दिनांक 05.12.2013 को पारित डिक्री

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) इस वाद के विपक्षी अमर पासवान के द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत अंचलाधिकारी, पटना सदर द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{699}{1}$ वर्ष 2014–15 में पारित आदेश के

विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय अपील सं0 66/2014–15 दायर की गयी।

(2) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के अन्तर्गत अपील पर निर्णय नहीं देते हुए लगान निर्धारण की स्वीकृति दे दी गयी, जो किसी भी तरह नियम संगत नहीं कहा जा सकता। लगान निर्धारण का कोई प्रस्ताव भी अंचल कार्यालय से नहीं मांगा गया।

(3) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के पत्रांक 682 दिनांक 06.05.2015 से दखल–कब्जा के बिन्दु पर राजस्व कर्मचारी से स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, पटना सदर के पत्रांक 4344 दिनांक 05.08.2015 के द्वारा दखल–कब्जा के बिन्दु पर राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन भूमि सुधार उप समाहर्ता को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रतिवेदन में विवादित खेसरों पर कुल 09 (नौ) लोगों की जमाबंदी कायम होने की बात कही गयी है। कुछ लोगों के द्वारा मकान बनाकर रहने की बात भी कही गयी है। इस वाद के विपक्षी अमर पासवान के दखल–कब्जा के संबंध में कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है, परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा इस वाद के विपक्षी अमर पासवान का दखल–कब्जा मान लिया गया, जो कि अत्यन्त ही आपतिजनक है।

(4) राजस्व कर्मचारी ने जिन 9(नौ) जमाबंदियों के संबंध में प्रतिवेदन दिया था, उनके संबंध में आवश्यक था कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा उन्हें नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता, परन्तु भुमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा जमाबंदीदारों के बिना नोटिस दिए मनमाना आदेश पारित कर दिया गया।

(5) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा टाईटिल बंटवारा सूट सं0 251/2013 में पारित आदेश के आलोक में विवादित खेसरे 1323, 1093, 1094 रकवा क्रमशः 1.62एकड़ 0.39 एकड़ एवं 0.23 एकड़ के लगान निर्धारण की स्वीकृति इस वाद के विपक्षी के पक्ष में दे दी गयी, परन्तु टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 251/2013 की याचिका एवं पारित आदेश/डिक्री के अवलोकन से पता चलता है कि यह टाईटिल पार्टीशन सूट मात्र खाता सं0 774 खेसरा सं0 1093 एवं 1094 रकवा क्रमशः 0.39 एकड़ एवं 0.23 एकड़ से संबंधित है। उक्त टाईटिल पार्टीशन सूट में खेसरा सं0 1323 सन्निहित ही नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा टाईटिल पार्टीशन सूट 251/2013 में पारित आदेश/डिक्री को आधार बना कर खेसरा सं0 1323 के बारे में गलत एवं भ्रामक आदेश पारित किया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 66/2014–15 में दिनांक 10.09.2015 को पारित आदेश में विधि एवं नियमों का पालन नहीं किया गया है। बिना दखल कब्जा के प्रतिवेदन के विपक्षी अमर पासवान का दखल–कब्जा मान लिया गया है। दाखिल खारिज अपील के अन्तर्गत बिना किसी प्रस्ताव के लगान

	निर्धारण की स्वीकृति दे दी गयी है। खेसरा सं0 1323 टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 251/2013 में सन्निहित नहीं रहने के बाद भी उसे टाईटिल पार्टीशन सूट का विवादित खेसरा मान लिया गया है। अतः उक्त आदेश किसी भी दृष्टिकोण से विधि सम्मत एवं पोषणीय नहीं है। अतः पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत करते हुए, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 66/2014-15 में दिनांक 10.09.2015 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर/अंचलाधिकारी, पटना सदर को भेजें। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। **लेखापित एवं संशोधित।** ह0/- (वज़ैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता,पटना ह0/- (वज़ैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता,पटना	